

समाहरणालय, अरवल

जिला विधि शाखा



अमृषा बैस, भा0प्र0से0

जिला पदाधिकारी, अरवल

दूरभाष सं० :- 06337-228994 (O)

:- 06337-228985 (R)

:- +91-9473191476

E-mail :- dm-arwal.bih@nic.in

पत्रांक-

/विधि

अरवल, दिनांक

/2026

अरवल जिला के लिए विधि पदाधिकारियों (लोक अभियोजक) के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करने संबंधी आम सूचना।

विधि विभागीय पत्र सं०-5772/जे०, दिनांक 03.08.2023 एवं बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 से संबंधित अधिसूचना ज्ञापांक 4960/जे०, दिनांक 04.07.2023 के आलोक में विधि विभाग, पटना के पत्रांक 7117/जे०, दिनांक 29.12.2020 द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र एवं विभागीय पत्र सं०-1210/जे०, दिनांक 25.02.2021 तथा विभागीय पत्र ज्ञाप संख्या-7684, दिनांक 17.09.2026 में निहित निदेश के आलोक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अरवल के न्यायालय में अभियोजन कार्यों के संचालनार्थ लोक अभियोजक की नियुक्ति की जानी है। लोक अभियोजक के पद पर वचनबद्धता हेतु बी०एन०एस०एस०, 2023 तथा बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के प्रावधानानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अरवल के परामर्श से जिलाधिकारी, अरवल द्वारा अनुशंसा सूची तैयार किए जाने के निमित्त निम्नलिखित पात्रता/अर्हता रखने वाले समाज के सभी वर्गों (पुरुष, महिला एवं Transgender) के सुयोग्य एवं अनुभवी अधिवक्ताओं से विहित प्रपत्र में बायोडाटा/आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

इच्छुक सुयोग्य अधिवक्ता अपना बायोडाटा/आवेदन-पत्र विहित-प्रपत्र में (वांछित प्रमाण-पत्र सहित) जिला पदाधिकारी, अरवल के पदनाम से दिनांक 21/10/26 के अपराह्न 05:00 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं। निर्धारित अवधि एवं समय के पश्चात् अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त बायोडाटा/आवेदन-पत्र विचारणीय/स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन जिला विधि शाखा, अरवल में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डाक द्वारा विलम्ब की जवाबदेही कार्यालय की नहीं होगी। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद-लोक अभियोजक साफ-साफ अक्षरों में अंकित होना चाहिए।

पात्रता/अर्हता

1. भारत का नागरिक और अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के अधीन गठित त्रिधिज्ञ परिषद् से पंजीकृत हो।
2. नियमावली के तहत निर्धारित न्यायालयों में व्यवसाय कर रहे हों।
3. जिस वित्तीय वर्ष में आवेदन की जानी है, उस वर्ष से कम से कम तीन पूर्व वित्तीय वर्षों का आयकर निर्धारिती (Assessee) रहा हो।
4. लोक अभियोजक हेतु न्यूनतम 7 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में विधिक व्यवसाय में रह चुका हो।

1
Eol-
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,
अरवल।

आवेदन (बायोडाटा) प्रपत्र

पदनाम— लोक अभियोजक

1. अधिवक्ता का नाम :—
2. पिता/पति का नाम :—
3. जन्म तिथि :—
(मैट्रिक प्रमाण-पत्र संलग्न है)
4. स्थायी पता :—
5. वर्तमान पता :—
6. मोबाईल नं०/ई-मेल आईडी :—
7. पैन नं० :—
8. शैक्षणिक योग्यता :—
(संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न है)
9. पंजीयन सं० एवं वर्ष :—
(पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न है)
10. अधिवक्ता के रूप में योगदान की तिथि :—
11. अनुभव (संबंधित बार एसोसियेशन से वकालत पेशा का अनुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न है)
12. जाति/वर्ग :—
(जाति प्रमाण-पत्र संलग्न है)
13. आपराधिक इतिहास का पूर्ण विवरण :—
(अपने बारे में निष्पादित तथा लम्बित सभी आपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण दें)
14. नोटरी, बैंक अथवा किसी संस्था का रिटेनर होने पर उसका विवरण दें।
15. यदि आवेदक पूर्व से सरकार के द्वारा किसी भी रूप में नियुक्त है, तो अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा कितने वादों में सरकार का पक्ष रखा गया एवं उन वादों में से कितने में सरकार के पक्ष में फैसला हुआ। (संख्यात्मक विवरणी दें)
16. सत्यापन
मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे नाम से कोई व्यक्तिगत अथवा साझेदारी का व्यवसाय नहीं है।

फोटो
स्वअभिप्रमाणित

स्थान :—

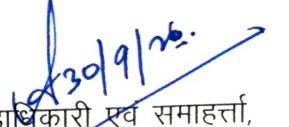
तिथि :—

आवेदक का हस्ताक्षर

ज्ञापांक.....148/विधि,

अरवल, दिनांक.....20/09/2026

- प्रतिलिपि:— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (NIC), अरवल को विहित प्रपत्र के साथ सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, अरवल को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— अध्यक्ष एवं सचिव, जिला बार एसोसिएशन, अरवल को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,
अरवल।